

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- खण्डवा जिले के ग्राम गोदड़पुरा में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान हेतु
17.00 हेक्टेयर वनभूमि गुरुकुल की स्थापना हेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 0.28
हेक्टेयर वनभूमि कुल 17.28 हेक्टेयर वनभूमि संस्कृति विभाग, जनजातीय संग्राहलय,
भोपाल को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/OTHERS/156029/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPC 022/2022- BHO दिनांक 12.09.2023

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति
पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने 18.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रू0 72,25,297/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 30.10.2023 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी-2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान ने 10.00 हेक्टेयर वनक्षेत्र पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रू0 65,75,146/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 30.10.2023 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 2,12,30,035/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 30.10.2023 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

- 6— शर्त क्रमांक (6) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि दिनांक 30.10.2023 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 7— शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर खण्डवा का प्रमाण पत्र दिनांक 17.05.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 8— शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 9— शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 10— शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 11— शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, आवंटित भूमि में कम से कम निर्माण कार्य करते हुए शेष भूमि पर वृक्षारोपण किया जावेगा।
- 12— शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा कम्पोनेंट वाइस ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 13— शर्त क्रमांक (13) के पालन में KML file सी0डी0 में संलग्न है।
- 14— शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
- 15— शर्त क्रमांक (15) से (17) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 16— शर्त क्रमांक (18) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 54490 है।
- 19— शर्त क्रमांक (19) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 20— शर्त क्रमांक (20) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

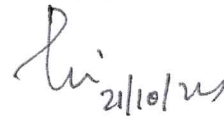
शर्त-B

- 1— शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2— शर्त क्रमांक (2) एवं (3) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गैर वनभूमि एवं वनभूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।
- 3— शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 4— शर्त क्रमांक (5) से (13) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

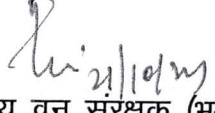


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1158/2022/10-11/5281
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21.10.2024

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
 3. सहायक संचालक, संस्कृति सह प्रभारी अधिकारी, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास म0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, जनजातीय संग्राहलय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल